



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters'
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

पत्रांक: ए-40012/6/2025-स्था.3

दिनांक : 09-12-2025

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 की अधिसूचना से पूर्व, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किये गए केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु अथवा निःशक्तता एवं अशक्तता होने के कारण सेवा से कार्यमुक्त किये जाने की दशा में, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 या केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने पर कर्मचारी के हिस्से तथा उस पर रिटर्न की वापसी – संबंधी

Subject: Refund of employees' share with returns thereon on availing benefits under CCS Pension Rules, 1972 or CCS (EoP) Rules, 1939 in the event of death of a Central Government employees covered under National Pension System or his discharge on the ground of disablement or invalidation prior to notification of the Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021.

उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 57/06/2021 दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को सक्षम अधिकारी द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अंगीकृत किए जाने के अनुमोदन उपरांत अग्रिम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

Office Memorandum No. 57/06/2021-P&PW(B) dated 14.10.2024 issued by Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Pension and Pensioners' Welfare on the subject cited above is forwarded herewith for necessary action consequent upon the approval of Competent Authority for its adoption in Employees' State Insurance Corporation.

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से प्रेषित किया जा रहा है / This issues with the approval of the Competent Authority.

संलग्न: यथोपरि / Encl.: As above

सहायक निदेशक/ ASSISTANT DIRECTOR

सेवा में

1. महानिदेशक / वित्त आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी के प्रधान निजि सचिव को सूचनार्थ हेतु।
2. सभी आंचलिक बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजि सचिव को सूचनार्थ हेतु।
3. सभी बीमा आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त के प्रधान निजि सचिव को सूचनार्थ हेतु।
4. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रभारी) / उप निदेशक (प्रभारी) को सूचनार्थ हेतु।
5. सभी ईएसआई अस्पताल / ईएसआई माडल अस्पताल के चिकित्सा अधिक्षक एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान के डीन को सूचनार्थ हेतु।
6. सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / अस्पताल / चिकित्सा शिक्षा संस्थान के संयुक्त निदेशक (वित्त) / उप निदेशक (वित्त) / सहायक निदेशक (वित्त) को सूचनार्थ हेतु।
7. उप निदेशक, स्थापना शाखा-1 व 5, मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।

8. निदेशक वित्त/ उप-निदेशक (वित्त एव लेखा शाखा-3)/ उपनिदेशक (वित्त एव लेखा शाखा- 4)/ रोकड़ शाखा मुख्यालय को सूचनार्थ हेतु।
9. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को ईएसआई कार्पोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।